भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

महत्वपूर्ण सूचना

फा.सं. 3/6/2021-नी.एवं यो.-। (खंड I): संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2021 के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन डेटा में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों को नोट करें : -

आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो:

(i) विंडो दिनांक 28.01.2022 से 01.02.2022 तक उपलब्ध रहेगी।

(ii) विंडो के दौरान, जो अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में कोई बदलाव करना चाहता है, ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित कर सकता है। अभ्यर्थी 'एकबारगी पंजीकरण' डेटा में भी बदलाव कर सकेंगे।

(iii) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

(iv) अगर अभ्यर्थी ने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(v) किसी भी परिस्थिति में दिनांक 01.02.2022 के पश्चात आवेदनपत्र में कोई और सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

(vii) आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- का एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- का एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी, चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

(viii) सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। कोई ऑफलाईन चालान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(ix) एक बार भुगतान किए गए सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

(x) संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों

पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

अवर सचिव (नी&यो-I)
25.01.2022